Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर ओसिया

प्रेमसिंह वगैराह बनाम मुलाराम वगैराह

किश्म मुकदमा 212 आरटी एक्ट नम्बर 163/2018

| तारीख हुक्म | हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुवे |
|---|---|---|
| 12.12.2018 | प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम इन्दो का बास पटवार मंडल इन्दा का बास भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देनोक तहसील बापिनी जिला जोधपुर के खाता संख्या 145 के खसरा नं. 935 रकबा 0 बीघा 9 बिस्वा व ख.न. 936 रकबा 159 बीघा 01 बीस्वा प्राथी के खातेदारी की आई हुई है। जिसमें उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस करने चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।<br>उक्त अराजी को आगे वादगस्त भूमि के नाम से संबोधित कि जाएगी। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि है। जिसमें प्रार्थी का संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा है, तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 का 7/8 हिस्सा है। इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि में कब्जाकाश्त है। मौके पर प्रार्थी का अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के हिस्से की भूमी के पश्चिम में अप्रार्थी की खातेदारी भूमी आई हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थी के खेतो के बीच में कदमी कणामाठ कायम है किन्तु अप्रार्थी अपनी भूमी से आगे बढ कर प्रार्थी के खातेदारी की वादग्रस्त भूमी में जबरन निर्माण करके अतिकमण करने तथा प्रार्थी को मौके से बेदखल करने हेतु ऐलानीया धमकिया दी। तथा प्रार्थी को बेदखल करने कि धमकी दे रहे है। जबकि ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से प्रथम दृष्ट्या सुदृढ मामला प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।<br>अतः प्रार्थीनीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजीजात ग्राम इन्दो का बास पटवार मंडल इन्दा का बास भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र देनोक तहसील बापिनी जिला जोधपुर के खाता संख्या 145 के खसरा नं. 935 रकबा 0 बीघा 9 बिस्वा व ख.न. 936 रकबा 159 बीघा 01 बीस्वा को अस्थाई निषेधाज्ञा से राजस्व रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति आगामी तारिख पेशी तक अप्रार्थी को पाबन्द | |

सहायक कलेक्टर, ओसियां

P.T.O

Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| | किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 29.01.2019 को पेश हों।<br><br>सहायक कलेक्टर, [illegible] | |

[illegible].वे.मु.न.-851-10,00,000-08.

APP-A
Cdm-I

FORM NO. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

बय अदालत सहायक कलक्टर मुकाम छोटीसादड़ी

प्रेमसिंह बनाम प्रकाश

विषय मुकदमा २५ नं. 163 सन् 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21-1-19 | पत्रावली प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब करने का पेश होने पर तलब की गई। वकील प्रार्थी उप०। तथा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 CPC का पेश किया जो शामिल मिसल हो। प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच आपसी खेतो की सीमा का विवाद था जिसके लिए प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था अब प्रार्थी व अप्रार्थी के बीच सीमाओ के माप के अनुसार आपसी सहमति से पैमाईश करवा कर समझौते की बात चली है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रोल करना चाहते है तथा माप करने के बाद पैमाईश के अनुसार यदि दोनो पक्षो के बीच समझौता नही होता है तो वादी नया प्रार्थना पत्र वाद पेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।<br>अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा उक्त प्रार्थना पत्र को विड्रोल किया जाता है<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।<br>[illegible] | |